

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), लखीमपुर खीरी।

सत्र परीक्षण सं0-712/2015

सरकार

बनाम

अजीत कुमार व अन्य

मु0अ0सं0-935/2015

वैकल्पिक धारा-302/34 भा0दं0सं0

थाना-कोतवाली सदर, जिला खीरी।

आरोप

मैं, रेनू सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), लखीमपुर खीरी एतद्वारा अभियुक्तगण **अजीत कुमार व विनोद कुमारी** को निम्न आरोप से आरोपित करती हूँ -

विकल्प में धारा 302 भा0दं0सं0

यह कि दिनांक 14.09.2025 को समय अदम तहरीर बहद स्थान ग्राम बाजपेई, थाना कोतवाली सदर, जिला खीरी में आपने वादी मुकदमा प्रमोद कुमार की पुत्री से अतिरिक्त दहेज में मु0 2,00,000/- (दो लाख रुपये) की मांग की तथा मांग पूरी न होने के कारण उसको जान से मारकर फांसी पर लटकाकर मृत्यु कारित की। तद्वारा आपने मृतका प्रीती वर्मा उर्फ रामदेवी की हत्या की। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो कि भा0दं0सं0 की धारा-302/34 के तहत दण्डनीय एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा मैं आपको आदेशित करती हूँ कि उक्त आरोप हेतु आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 27.01.2026

(रेनू सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
लखीमपुर खीरी।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिसे उसने सुनकर व समझकर अस्वीकार किया और विचारण की माँग की।

दिनांक 27.01.2026

(रेनू सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
लखीमपुर खीरी।